न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 62/2020
निर्णय दिनांक : 14.05.2022

1. रामराय शर्मा पुत्र स्व. श्री महादेव, आयु 64 वर्ष, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी महल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 182, 183, 209, 211, 212, 220, 227 से 231, 235, 236, 376, 234/791, कुल किता 15 कुल रकबा 2.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 से 162, 170, 173 से 175, 178 से 180, 187, 188, 213, 214, 216, 239, 240, 238/786, 390/794, 212/803 कुल किता 40 कुल रकबा 20.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343, 387 कुल किता 2 कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर समस्त भूमि स्थित ग्राम महल, तहसील सांगानेर प्रार्थी पुस्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्तशुदा भूमि है। प्रार्थी के पिता के देहान्त पर जब फौती नामान्तरकरण खोला गया तो नामान्तरकरण में प्रार्थी का शुद्ध नाम रामराय पुत्र महादेव लिखा गया। कालान्तर में खाता संख्या 51 व 54 की भूमि में तो प्रार्थी का सही नाम रामराय लिखा गया परन्तु खाता संख्या 50 की भूमि में प्रार्थी का नाम रामराय के बजाय रामसहाय लिख दिया गया। प्रार्थी को कुछ रूपयों की आवश्यकता पडी तो प्रार्थी ने अपनी भूमि पर लोन लेने का मानस बनाया व इस हेतु बैंक द्वारा जमाबन्दी की नकल चाही गई, जिस पर प्रार्थी ने जमाबन्दी की नकल ली, तो पता चला कि खाता संख्या 50 की भूमि खसरा नम्बर 343, 387 में प्रार्थी का गलत नाम रामसहाय इन्द्राज किया हुआ है, जबकि प्रार्थी का सही नाम रामराय शर्मा है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त खाता संख्या 50 में प्रार्थी का रामसहाय गलत नाम लिखा हुआ है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खाता संख्या 50 ग्राम महल की भूमि खसरा नम्बर 343, 387 में प्रार्थी का शुद्ध नाम रामराय शर्मा दर्ज रिकार्ड करने के तहसीलदार सांगानेर को आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

5, 2022, 18:43

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी द्वारा सहमति दी गई दस्तावेजों के अनुसार नाम दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज पहचान पत्र, अन्य राजस्व रिकार्ड एवं अपने भाई रामकिशोर शर्मा पुत्र स्व. श्री महादेव व बाबूलाल शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी का नाम रामराय शर्मा दर्ज होना बतलाया है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम महल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खात संख्या 50 के खसरा नम्बर 343 व 387 में प्रार्थी का नाम रामसहाय पुत्र महादेव के स्थान पर रामराय पुत्र महादेव किये जाने के आदेश दिये जाते है, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामल किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested